2/5/24

पत्रावली पेश हुई ... तारीख ...
अन्य राज्य ... दिनांक 9/5/24
पक्ष ...
को पेश हो।

9/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०
अप्रार्थी सं० 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं
आये लिहाजा एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई जाती है पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक
[illegible] प्रार्थना पत्र 136 अन्तर्गत प्रार्थी का
प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] प्रमाण
देकर [illegible] से [illegible] बाद तहसील दाखिल
दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:24:24 IST
Reason: SelfAttested

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] गया है।
अन्य राज्य [illegible] दिनांक 9/5/24
पक्षकार [illegible]
को पेश हो।

9/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित
[illegible] [illegible] [illegible] उपस्थित
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] पत्रावली का अवलोकन [illegible]
[illegible] प्रार्थना पत्र 136 [illegible] प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible]
[illegible] से लिखवाया जाकर [illegible]
पत्रावली [illegible] गया। पत्रावली फैसल प्रमाण
होकर [illegible] से [illegible] तहसील दाखिल
दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:24:24 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :16/2024
निर्णय दिनांक : 09.04.2024

1. एम्बुलेन्स रिलीफ सोसायटी पंजीकृत कार्यालय डी-4/105 ए, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड जयपुर जरिये महासचिव श्रीमती शोभा शर्मा

-प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमलकलाल पुत्र श्री जगमोहन जाति बैरवा 91 बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रामपुराउंती, पटवार हल्का रामपुराउंती भू.अ.नि. बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में नया खाता संख्या 420 व पुराना 304 के खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.4000 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज अंकित है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ओर उक्त वर्णित कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1340/1881 रकबा 0.09 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.4000 हैक्टेयर जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही है परन्तु राजस्व नक्शे में प्रार्थी की भूमि का रकबा लगभग 0.31 हैक्टेयर ही बनता है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से से कम अर्थात राजस्व नक्शे में प्रार्थी की भूमि लगभग 9 ऐयर भूमि है। जबकि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में रकबा 0.400 हैक्टेयर दर्ज व अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1340/1881 रकबा 0.09 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज व अंकित है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त भूमि का राजस्व नक्शा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.09 हैक्टेयर से अधिक अर्थात लगभग 0.18 ऐयर का दर्शित/बना हुआ है। दौराने बंदोबस्त कार्यवाही / वाद विभाजन खसरा नम्बर 1340 के बट्टा नम्बर बनाये गये है तत समय भू प्रबंध विभाग/राजस्व कर्मचारियो द्वारा खसरा नम्बर 1340 के बट्टा नम्बर में खसरा नम्बर 1340/1881 कायम करते समय राजस्व अभिलेख में तो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा तो रिकोर्डनुसार सही दर्ज कर दिया गया परन्तु राजस्व मानचित्र कायम करते समय प्रार्थी के खसरा नम्बर 1340 का राजस्व नक्शा कम करते हुये खसरा नम्बर 1340/1881 में तकरीबन 9 ऐयर का बना दिया गया। [illegible] नक्शा तैयार करते समय प्रार्थी की भूमि का रकबा राजस्व नक्शे में रा[illegible]दी में दर्ज रकबे से कम करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 का रक[illegible] हिस्से से अधिक दर्ज कर दिया गया जो कि लिपिकीय त्रुटी है। प्रार्थी को [illegible] प्रकार से नक्शे मे हुई त्रुटी/दुरूस्ती की जानकारी नही थी प्रार्थी ने उक्त भूमि [illegible] नपत करते समय एंव पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे का अवलोकन करने पर प्रार्थी को उक्त नक्शे में हुई कमी की जानकारी हुई। अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने से एंव उक्त जमाबंदी/राजस्व नक्शे में हुये इन्द्राज को दुरूस्त करने के अधिकार प्राप्त है इसलिये श्रीमान के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by: Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त त्रुटि महज मानवीय त्रुटि मात्र है जिसे तत्समय ही दुरस्त जाना आवश्यक था। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जायेगें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम रामपुराउती, पटवार हल्का रामपुराउंती भू.अ. नि. बगरूकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में नया खाता सख्या 420 व पुराना 364 के खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.4000 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे 0.4000 हैक्टेयर के मुताबिक नक्शा बनाया जाना न्यायहित में है तथा अन्य हितकर सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सुनी गइ। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया राजस्व ग्राम रामपुराउती, पटवार हल्का रामपुराउंती भू.अ.नि. बगरूकला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में नया खाता सख्या 420 व पुराना 364 के खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.4000 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे 0.4000 हैक्टेयर के मुताबिक राजस्व नक्शा बनाया जावे।

बहस वकील प्रार्थी व तहसीलदार सांगानेर की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रामपूराउती, पटवार हल्का रामपूराउती भू.अ नि बगरूकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 420 व पुराना 364 के खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.400 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे 0.4000 के मुताबिक राजस्व नक्शा बनाया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( हिम्मत सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:24:24 IST
Reason: SelfAttested